# अध्याय VII : जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय

## नेशनल प्रोजैक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड

### *7.1 परियोजनाओं को रद्द करने में असामान्य विलम्ब*

**ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये जाली दस्तावेजों के पाये जाने पर नेशनल प्रोजैक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड ने छः सड़कों के लिए ठेकों को रद्द किया तथा अन्य 30 सड़को के ठेकों को रद्द करने में अत्यधिक विलंब किया। इसके फलस्वरूप 19 सड़कों के संबंध में अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए ठेकों की पुनः संविदा पर ₹ 16.42 करोड़ का अतरिक्त लागत लगी।**

नेशनल प्रोजैक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार राज्य में सड़कों के निर्माण, आरंभ करने और प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय (मंत्रालय), भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ सभी-मौसम सड़क संयोजकता द्वारा आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुँच द्वारा ग्रामीण विकास बढ़ाने के लिए एक नियतयोजना के अंतर्गत एक त्रिपक्षीय समझौता किया (अगस्त 2004)। कार्यान्वयन एजेंसी के कप में एनपीसीसी को मंत्रालय से दिये गये कार्यों (निर्माण और पाँच वर्ष प्रबंधन हेतु) की कुल परियोजना लागत के *10 प्रतिशत* की दर पर फीस प्राप्त करनी थी। एनपीसीसी को 2004-05 से 2009-10 के दौरान ₹ 1,431.63 करोड़ की लागत पर 692 सड़कों के निर्माण के कार्यान्वयन वाली परियोजनाएं सौंपी गई। तद्नुसार, एनपीसीसी ने मानक बोली दस्तावेज[1] (एसबीडी) के अनुसार खुली निविदा आंमत्रित की और समय-समय पर विभिन्न ठेकेदारों को कार्य सौंपे।

अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2014) से ज्ञात हुआ कि एनपीसीसी ने सितंबर 2010 से अगस्त 2013 के दौरान ₹ 81.59 करोड़ के मूल्य वाली 36 सड़कों[2] के संबंध में ठेके रद्द कर दिये। इस संबंध में यह अवलोकन किया गया कि:

---

[1] राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एंजेसी द्वारा तैयार और बिहार सरकार द्वारा अपनाया गया मानक बोली दस्तावेज।

[2] बक्सर (8), भोजपुर (9), रोहतास (7), पटना (6) और नालंदा(6)।

- भाग-2 का खंड 12.1–एसबीडी के अंतर्गत बोलीदाता योग्यता निर्देश, अनुभव, निर्माण उपस्कर की स्वामित्व आदि के पक्ष में दस्तावेजों सहित बोली के साथ विभिन्न दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण को दर्शाते हैं। एनपीसीसी ने एसबीडी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का सत्यापन किये बिना छः[3] सड़कों (सितंबर 2009) के संबंध में मै. बिरेंद तिवारी कंस्ट्रक्शन की बोलियां स्वीकृत की। बाद में, जांच करने पर कि ठेकेदार ने निविदाओं के प्रति जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, एनपीसीसी ने सितंबर 2010 और दिसंबर 2010 में तीन-तीन सड़कों के लिए ठेके रद्द कर दिये।

- एसबीडी के अंतर्गत कार्यों को पूरा करने की तिथि कार्य आरंभ करने के 12 महीनों के बाद थी। यद्यपि, ठेकेदारों ने शेष 30 सड़कों के संबंध में कार्य को निर्धारित समय पर पूरा नहीं किया। हालांकि एनपीसीसी ने इन गैर-निष्पादित ठेकों को रद्द करने हेतु समयबद्ध कार्रवाई नहीं की। इसके बाद, एनपीसीसी ने निर्माण/ठेके के पूरे होने की नियत तिथियों के बाद 744 दिनों और 1838 दिनों की बीच के अत्यधिक विलंब के बाद इन ठेकों को रद्द किया।

- ठेकेदार की गलती के कारण ठेके को रद्द करने के मामले में, एसबीडी के अंतर्गत ठेकेकी सामान्य शर्त संख्या 24 कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत के संबंध में ठेकेदार से अपूर्णकार्य की मूल्य *20 प्रतिशत* की वसूली दर्शाती है। एनपीसीसी ने *20 प्रतिशत* की ठेकेदार की देयता से अधिक ₹ 16.42 करोड़ की अतिरिक्त निर्माण लागत सहित 36 सड़कों के लिए रद्द किये गये ठेकों में से 19 सड़कों के संबंध में अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए जुलाई 2013 से जनवरी 2014 के दौरान नई निविदाएं आमंत्रित की। इस अतिरिक्त निर्माण लागत में एम/एस बिरेंद्र तिवारी कंस्ट्रक्शन को पहले दिये गये छः सड़कों में से पाँच के ठेकों के संबंध में ₹ 1.88 करोड़ शामिल हैं।

- एनपीसीसी ने नौ सड़कों के अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत के रूप में ₹ 11.16 करोड़ की संस्वीकृति के लिए मंत्रालय से अनुरोध (जनवरी 2014) किया। एनपीसीसी के प्रस्ताव पर विचार करते हुए, मंत्रालय ने पाया (फरवरी 2014) कि कंपनी की और से ठेकों को रद्द करने में लापरवाही की गई थी क्योंकि इसने 2007-08 में दिये गये ठेकों के प्रति 2012-13 में ठेकों को रद्द करने में पाँच वर्षों का समय लिया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि

[3] बक्सर (3) और भोजपुर (3)

त्रिपक्षीय समझौते के खंड 12 (सी) के अनुसार एनपीसीसी के विलंब/लापरवाही के कारण वृद्धि के मामले में लागत भी एनपीसीसी द्वारा ही वहन की जाएगी।

- दोबारा एनपीसीसी ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में स्पष्टीकरण भेजा और नौ सड़कों को रद्द किये गये ठेकों की अतिरिक्त लागत के लिए संस्वीकृति के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया (फरवरी 2014)। तत्पश्चात्, एनपीसीसी ने शेष 10 सड़कों के संबंध में ₹ 5.26 करोड़ की अतिरिक्त निर्माण लागत की संस्वीकृति हेतु मंत्रालय से अनुरोध (मार्च 2014) किया। जनवरी 2014 और फरवरी 2014 के एनपीसीसी के पूर्व अनुरोध को देखते हुए मंत्रालय ने कहा कि नौ सड़क कार्यों में की अतिरिक्त लागत कार्य के कार्यक्षेत्र में सामग्री परिवर्तन के कारण नहीं थी बल्कि केवल अधिक समय के कारण थी और रद्द किये गये ठेकों के लिए अतिरिक्त लागत वहन करने और जल्द संतोषजनक कार्य पूरा करने के निर्देश दिये (मार्च 2014)।

इस प्रकार निविदा प्रक्रिया को निष्ठापूर्वक अपनाये बिना एक अयोग्य ठेकेदार को छः सड़कों के संबंध में ठेकों का दिया जाना और अन्य अपूर्ण ठेकों को रद्द करने में अत्यधिक समय के फलस्वरूप 19 सड़कों के अपूर्ण निर्माण कार्य का पूरा करने के संबंध में समय और ₹ 16.42 करोड़ सहित अधिक लागत लगानी पड़ी। 17 सड़कों के लिए शेष ठेकों से संबंधित कार्य की प्रगति *20 प्रतिशत* और *95 प्रतिशत* के बीच थी और इन सड़कों के अपूर्ण कार्य का भविष्य अभी भी तय किया जाना (मई 2014) था। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त लागत की संस्वीकृति के लिए मंत्रालय द्वारा मना किया जाना इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अतिरिक्त लागत एनपीसीसी द्वारा वहन की जाएगी।

प्रबंधन ने कहा (मार्च 2014) कि एसबीडी के अनुसार, तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन बोली खोलने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अंदर पूरा किया जाना था और समय प्रतिबंध के कारण दस्तावेजों के सत्यापन में कोई गुंजाईश नहीं थी। इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई सड़कें दुरस्थ गांवों में स्थित थी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विधि और आदेश समस्या में विलंब का कारण बनें। इसके अतिरिक्त प्रबंधन ने कहा (मई 2014) कि सामग्रियों की लागत में वृद्धि और बिहार में संचालित खदानों के बंद होने तथा मंत्रालय से निधि के अपर्याप्त निकास के कारण ठेकेदारों ने कार्यको धीमा कर दिया। चूंकि ये कारक उनके नियंत्रण से बाहर थे, उन्होंने कार्य को पूरा करने में समय की अवधि बढ़ा दी प्रबंधन ने कहा कि मंत्रालय को 19 सड़कों के निर्माण हेतु अतिरिक्त लागत संस्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया था और एनपीसीसी कार्य नहीं करेगी यदि मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त लागत की संस्वीकृति नहीं दी जाती। एनपीसीसी ने आगे यह भी

कहा कि उसने इन 19 ठेकों के कार्य को किसी एजेंसी को नहीं दिया था और इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तावित के रूप में अतिरिक्त लागत का कोई भार नहीं था।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोली मूल्यांकन के लिए समय सारणी एसबीडी के अनुसार थी और उनका पालन किया जाना था। अतिरिक्त लागत कार्य या मात्राओं में बदलाव के संबंध में नहीं थी बल्कि जैसा कि मंत्रालय ने कहा कि यह केवल अधिक समय के कारण थी। प्रबंधन द्वारा ठेकों का विलंब से रद्द किये जाने के कारण नौ सड़कों के संबंध में ₹ 11.16 करोड़ की अतिरिक्त लागत अगस्त 2014 के त्रिपक्षीय समझौते के खंड 12 (सी) की शर्तों के अनुसार एनपीसीसी द्वारा वहन की जानी है। मंत्रालय ने भी प्रबंधन के अनुरोध को स्वीकार करने से मना कर दिया और इसलिए जिम्मेदारी एनपीसीसी पर आ गई।

दिसम्बर 2014 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मार्च 2015)।